2024:CGHC:43746-DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक 342/2022

अश्विनी उर्फ गोलू धुरी, पिता श्री रामचरण धुरी, उम्र-25 वर्ष, निवासी- चुलघाट रोड, तखतपुर, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग.

– अपीलकर्ता

विरूद्ध

छ.ग. शासन द्वारा थाना प्रभारी थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग. -प्रतिवादी

अपीलकर्ता की ओर से श्री निशिकांत सिन्हा अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से श्री संघर्ष पाण्डेय शासकीय अधिवक्ता।

-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद न्यायमूर्ति
निर्णय दिनांक 11-11-2024
बोर्ड पर निर्णय

द्वारा रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ति

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत यह दांडिक अपील, सत्र प्रकरण क्रमांक 29/2019 में पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 17.11.2021 के दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 307, 450, 302 और 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और 10 साल के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, जुर्माना न चुकाने पर 100 दिनों के लिए कठोर कारावास, 7 साल के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, जुर्माना न चुकाने पर 100 दिनों के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई है, आजीवन कारावास और 2,000/- रूपये का जुर्माना, जुर्माना न चुकाने पर 200 दिनों के लिए कठोर कारावास और 2,000/- रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माने के अलावा 200 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 08.10.2018 को रात्रि करीब 11 बजे ग्राम खपरी, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर में मृतक सियाराम धुरी और शकुन बाई धुरी के क्षेत्राधिकार के आरोपीगण सियाराम धुरी और शकुन बाई धुरी को जान से मारने की नियत से घर में घुसे और आपराधिक गृह अतिचार कारित किया। आरोपियों ने कुदाल और गंडासा से मारकर सियाराम धुरी और शकुन बाई धुरी की हत्या कर दी और उमा धुरी को लोहे के बर्तन और कुदाल से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता शिव कुमार की बहन की शादी आरोपी अश्वनी उर्फ गोलू धुरी के साथ हुई थी। शादी के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता की बहन को परेशान करना शुरू कर दिया। उमा धुरी ने आरोपी का घर छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ ग्राम खपरी में अपने माता -पिता के पास रहने लगी सामाजिक तलाक की बैठक के

दौरान, अपीलकर्ता ने उमा धुरी से झगड़ा किया और मारपीट की और धमकी दी कि वह उसे अपने पास आने के लिए मना ले, अन्यथा वह उसे जान से मार देगा। चूंकि उमा धुरी आरोपी के पास नहीं गई , इसलिए दुश्मनी के कारण आरोपी उसे मारने की ताक में था और घटना की तारीख यानी 08.10.2018 को दोपहर लगभग 1 बजे वह ग्राम खपरी पहुंचा और सियाराम धुरी के घर में घुसकर शिकायतकर्ता के माता-पिता शकुन बाई और सियाराम धुरी पर धारदार हथियार "गंडासा और कुदाल" से हमला कर उन्हें मार डाला। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता की बहन उमा धुरी पर धारदार हथियार "गंडासा और कुदाल" से हमला किया और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे उमा धुरी बेहोश हो गई। शिकायतकर्ता को उसके सगे चाचा सुंदर ने फोन पर घटना की जानकारी दी और जब वह ग्राम खपरी पहुंचा तो शिकायतकर्ता के माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उमा धुरी को अस्पताल ले जाया गया था।

3. शिकायतकर्ता शिव कुमार धुरी द्वारा अपने माता-पिता की मृत्यु के संबंध में अलग-अलग मर्ग सूचना दर्ज करने पर, दिनांक 09.10.2018 को उपनिरीक्षक राकेश साहू ने मर्ग सूचना संख्या 73/2018 और 74/2018 दर्ज की और अपराध संख्या 395/2018 में अपीलकर्ता के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 302 , 307 और 450 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

4. जांच के दौरान जांच अधिकारी शरद कुमार चंद्रा (पीडब्लू-13) द्वारा घटना स्थल पर जाकर साक्षियों को धारा 175 दं.प्र.सं. के तहत पंचनामा कार्यवाही के संबंध में सूचना देकर उनकी उपस्थिति में नक्शा एवं पंचायतनामा तैयार किया गया। घायल उमा धुरी को मुलाहिजा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर भेजा गया जहां डॉ. दिव्या अग्रवाल (पीडब्लू-3) द्वारा प्रदर्श पी-4 के अनुसार जांच की गई तथा निम्नलिखित चोटें पाई गईं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) बायीं ओर के जबड़े पर 10 x 3 सेमी माप का घाव।

(ii) बायें गाल पर 5 x 2 सेमी माप का घाव।

(iii) बाएं हाथ पर 7 x 4 सेमी माप का घाव।

(iv) दाहिनी छाती पर 3 x 1 सेमी माप का घाव।

(v) दाहिने हाथ पर 5 x 3 सेमी माप का घाव।

(vi) दाहिने अबा पर 3 x 3 सेमी माप का घाव।

(vii) दाहिने हाथ पर 5 x 3 सेमी माप का घाव।

(viii) हैंडओवर के पकपाल क्षेत्र पर 3 x 3 सेमी माप का कटा हुआ घाव।

(ix) बायें हाथ पर 3 x 3 सेमी का घाव।

डॉक्टर ने उसे सीआईएमएस, बिलासपुर रेफर कर दिया। घायल उमा धुरी का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के तहत .पी-1 के तहत दर्ज किया गया। अपीलार्थी का ज्ञापन बयान पी-5 के तहत दर्ज किया गया और उसके मेमोरेण्डम बयान के आधार पर अपीलकर्ता की निशानदेही पर चप्पलें, खून के धब्बे लगी एक सूती सफेद और नीले रंग की पूरी आस्तीन की शर्ट और कमर पर फटा हुआ इलास्टिक लोअर .पी-6 के तहत जप्त किया गया। अपीलकर्ता से सायकल .पी-7 के तहत जप्त की गई। अपीलकर्ता को गिरफ्तारी पत्रक .पी-8 के तहत 10.10.18 को गिरफ्तार किया गया। मीरा धुरी का बयान .पी-9 के तहत दर्ज किया गया। मृतक सियाराम धुरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तखतपुर भेजा गया जहां डॉ. आशीष कश्यप (पीडब्लू-7) ने मृतक सियाराम धुरी के शव का परीक्षण.पी-10 के अनुसार किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

(1) गर्दन के बाईं ओर 6 सेमी x 5 सेमी x 2 सेमी लाल रंग का गहरा घाव, नियमित मार्जिन, कठोर और नुकीली वस्तु से घाव प्रकृति में मृत्यु के पूर्व की अवधि 12 से 16 घंटे के भीतर

(2) खोपड़ी के बाएं पार्श्विक क्षेत्र में 5 सेमी x 2 सेमी x 0.5 सेमी माप का लाल रंग का चीरा हुआ घाव, मार्जिन नियमित, कठोर और नुकीली वस्तु से प्रकृति में मृत्यु के पूर्व की अवधि 12 से 16 घंटे के भीतर।

(3) खोपड़ी के दाहिने पकपाल क्षेत्र में 3 सेमी x 1 सेमी x 0.5 सेमी माप का चीरा हुआ घाव, मार्जिन नियमित, रंग में लाल, कठोर और नुकीली वस्तु का घाव प्रकृति में मृत्यु के पूर्व की अवधि 12 से 16 घंटे के भीतर ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉक्टर ने बताया कि सियाराम धुरी की मौत का कारण गर्दन और सिर पर जानलेवा चोट लगने के कारण रक्तस्रावी आघात है। जिसकी प्रकृति मृत्यु के पूर्व की है। मृत्यु की प्रकृति मानववध है। मृतक श्रीमती शकुन धुरी के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र, तखतपुर भेजा गया, जहां डॉ.आशीष कश्यप (पीडब्लू-7) ने श्रीमती शकुन धुरी के शव का पोस्टमार्टम प्रदर्श पी-11 के अनुसार किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

(1)चेहरे के दाहिने हिस्से पर 9 सेमी x 2.5 सेमी x 2 सेमी गहरा घाव, जो दाहिने ऊपरी होठों से लेकर जबड़े तक फैला हुआ है,त्वचा, मांसपेशी, हड्डी पर किसी कठोर और नुकीली वस्तु से लाल रंग का कटने का निशान है। मार्जिन सामान्य है प्रकृति में मृत्यु के पूर्व 12 से 16 घंटों के भीतर।

(2) गर्दन के दाहिने हिस्से पर 10 सेमी x 7 सेमी x 2.5 सेमी गहरा घाव है जो जबड़े के नीचे से गर्दन के दाहिने हिस्से के पिछले हिस्से तक फैला हुआ है। रंग लाल है, सूखा और खून के थक्के हैं, त्वचा, मांसपेशियाँ, नाक और धमनी तथा शिराएँ कठोर और नुकीली वस्तु से कटी हुई हैं। प्रकृति में मृत्यु के पूर्व 12 से 16 घंटों के भीतर हो सकता है।

(3) चेहरे के दाहिने जबड़े के क्षे त्र में 4 सेमी x 1.5 सेमी x 1 सेमी माप का घाव, मार्जिन नियमित, कठोर और नुकीली वस्तु के कारण लाल रंग का प्रकृति में मृत्यु के पूर्व 12-16 घंटों के भीतर।

(4) नाक के दाहिने पुल से नाक के पिछले भाग तक फैला हुआ 2 सेमी x 0.5 सेमी x 0.3 सेमी

माप का चीरा हुआ लाल रंग का घाव, मार्जिन नियमित कठोर और नुकीली वस्तु से बना घाव, प्रकृति में मृत्यु के पूर्व 12 से 16 बजे के बीच का।

(5) चेहरे के बाएं जबड़े के क्षेत्र में 8 सेमी x 2 सेमी x 1.5 सेमी लाल रंग का गहरा घाव, मार्जिन नियमित, कठोर और नुकीली वस्तु से कारित , प्रकृति में मृत्यु के पूर्व 12 से 16 घंटे के भीतर का।

(6) सतही लाल रंग का घाव जिसका माप 3 सेमी x 1 सेमी x 0.2 सेमी है, बायीं ओर, मार्जिन सामान्य, कठोर और नुकीली वस्तु से कारित प्रकृति में मृत्यु के पूर्व 12 से 16 घंटे के भीतर।

(7) पिन्ना के बाएं भाग में 1.5 सेमी x 0.5 सेमी x 0.3 सेमी माप का चीरा हुआ लाल रंग का घाव और उपास्थि कटी हुई, मार्जिन नियमित, कठोर और नुकीली वस्तु से कारित, प्रकृति में मृत्यु के पूर्व 12 घंटे से 16 घंटे के भीतर।

(8) माथे के बायीं ओर 5 सेमी x 5 सेमी x 0.1 सेमी माप का लाल रंग का सतही घाव, प्रकृति में मृत्यु के पूर्व मार्जिन सामान्य, कठोर और नुकीली वस्तु से कारित।

(9) खोपड़ी के बाएं टेम्पोरल क्षेत्र में 5 सेमी x 2.5 सेमी x 0.5 सेमी लाल रंग का गहरा घाव, मार्जिन नियमित, कठोर और नुकीली वस्तु से घाव प्रकृति में मृत्यु के पूर्व अवधि 12 से 16 घंटे के भीतर।

(10) पश्च कपाल क्षेत्र पर 5 सेमी x 1 सेमी x 0.5 सेमी गहरा लाल रंग का कटा हुआ घाव मार्जिन नियमित, कठोर और नुकीली वस्तु से कारित प्रकृति में मृत्यु के पूर्व अवधि 12 से 16 घंटे के भीतर।

(11) बायीं भुजा के मध्य भाग पर 5 सेमी x 1.5 सेमी x 1 सेमी गहरा लाल रंग का घाव मार्जिन नियमित, कठोर और नुकीली वस्तु से कारित प्रकृति में मृत्यु के पूर्व अवधि 12 घंटे से 16 घंटे के भीतर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉक्टर ने बताया कि शकुन धुरी की मौत का कारण चेहरे, गर्दन और सिर के हिस्से पर जानलेवा चोट लगने के कारण रक्तस्रावी आघात है। यह प्रकृति में मृत्यु के पूर्व का है। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है। मर्ग सूचना को ए.पी-13 के अनुसार दर्ज किया गया। ए.पी-17 के अनुसार मौके से खून से सने कुदाल के दाग, खून से सने गंडासे के दाग और खून से सने साड़ी के दाग बरामद किए गए। जांच अधिकारी ने ए.पी-18 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट ए.पी.-19 के अनुसार दर्ज की गई। जप्त की गई वस्तुएं अर्थात कुदाल (वस्तु ए), गंडासा (वस्तु बी), साड़ी (वस्तु डी), चप्पल (वस्तु डी), फुलशर्ट (वस्तु ई) और लोअर (वस्तु एफ) ए.पी.-26 के अनुसार एफ.एस.एल. को जांच के लिए भेजा गया और एफ.एस.एल. रिपोर्ट (पी-28) के अनुसार, वस्तु ए, बी, सी, डी, ई और एफ पर खून पाया गया। वस्तु डी में धब्बे विघटित हो गए हैं, इसलिए, मानव -उत्पत्ति के लिए परीक्षण परिणाम नकारात्मक पाया गया। वस्तु बी, ई और एफ पर परीक्षण परिणाम अनिश्चित हैं, इसलिए, रक्त समूह परिणाम का पता नहीं लगाया जा सका।

5. जांच पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तखतपुर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित कर दिया, जहां से पंचम अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश, बिलासपुर को मामला सुनवाई के लिए अंतरित कर दिया गया। आरोपी/अपीलकर्ता ने दोष अस्वीकार किया और बचाव में उतर आए।

6. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों का परीक्षण किया और 30 दस्तावेज ए.पी-1 से पी-30 दर्शित किए। आरोपी /अपीलकर्ता का बयान द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपराध से इन्कार किया और अन्यत्र उपस्थिति का तर्क दिया तथा अपने बचाव में दो गवाहों रामचरण धुरी (डी डब्ल्यू-1) और देवेंन्द्र कुमार धुरी (डीडब्ल्यू-2) का परीक्षण कराया।

7. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करते हुए, अपने निर्णय दिनांक 17.11.2021 के द्वारा, अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 307 , 450 , 302 और 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और इस निर्णय के शुरूआती पैराग्राफ में उल्लेखित सजा सुनाई, जिसके खिलाफ, अपीलकर्ता द्वारा यह आपराधिक अपील प्रस्तुत की गई है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री निशिकांत सिन्हा ने कहा कि अपीलकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस कारण से झूठा फंसाया गया है कि उमा धुरी 3 साल से अपने पति/आरोपी से अलग रह रही थी और उसका 3½ साल का बच्चा है, वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और उसका पप्पू कुमारी नामक व्यक्ति से प्रेम संबंध था। उमा धुरी के बयान पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक हितबद्ध साक्षी है जिसे प्रकरण के परिणाम से लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि उमा धुरी की अपने माता - पिता से संपत्ति के लिए रंजिश थी क्योंकि वह अपने पिता की दूसरी पत्नी से पैदा हुए भाइयों के साथ संपत्ति साझा नहीं करना चाहती थी। रविशंकर धुरी (पी डब्लू-11) ने इस दुश्मनी और घटना से एक दिन पहले मृतक व्यक्तियों को दी गई धमकी के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी का मेमोरेण्डम चकरभाटा रेलवे स्टेशन पर दर्ज किया गया था, जबकि मेमोरेण्डम और जब्ती के गवाह नीरा धुरी (पीडब्लू-6) और सकीना धुरी (पीडब्लू-8) ने विरोधाभासी बयान दिया कि यह पुलिस स्टेशन तखतपुर में दर्ज किया गया था, जहां आरोपी अभिरक्षा में था। यहां तक कि आरोपी से कपड़ों की जब्ती भी खुले स्थान से की गई थी, जबकि जब्ती गवाह नीरा धुरी (पीडब्लू-6) और सकीना धुरी (पीडब्लू-8) ने मौके से ऐसी जब्ती से इनकार किया है और कहा है कि उनसे पुलिस स्टेशन में दस्तावेजों पर हस्ता क्षर करवाए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक व्यक्तियों को लगी सभी चोटें मौके से जप्त किए गए धारदार हथियारों से किए गए घाव हैं, जबकि उमा धुरी को पूरे शरीर पर कठोर और कुंद वस्तु से केवल घाव हुए और वह बच गई, जिससे उसकी कहानी पर गंभीर संदेह पैदा होता है क्योंकि वह घर में अकेली थी। अगर अपीलकर्ता का हेतुक मृतक व्यक्तियों से उनके बच्चे को छीनना था तो वह अपराध करने के बाद बच्चे को उनके कब्जे से ले सकता था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि घटना के बाद बच्चे के साथ क्या हुआ, इसलिए अपराध का हेतुक भी साबित नहीं हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता/आरोपी से जप्त किए गए कथित खून के धब्बे भी अपराध साबित नहीं करते क्योंकि यह साबित नहीं हुआ है कि यह मृतक व्यक्तियों का खून है। इसके अलावा, जांच अधिकारी ने उंगली चिन्ह विशेषज्ञ और खोजी कुत्तों की रिपोर्ट पेश नहीं की है क्योंकि वे आरोपी द्वारा अपराध कारित किए जाने के विरूद्ध थे। इसलिए अपीलकर्ता का अपराध साबित नहीं हुआ है और वह दोषमुक्त होने का हकदार है।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी वकील श्री संघर्ष पांडे ने आलोच्य निर्णय का समर्थन किया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपर्युक्त अनुसार सही तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

10. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है , उनके द्वारा ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

11. प्रथम विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या मृतक सियाराम धुरी और शकुन बाई धुरी की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, जिसे विचारण न्यायालय ने डॉ. आशीष कश्यप (पीडब्लू-7) की गवाही के आधार पर हत्या की प्रकृति को माना है, जिन्होंने शव परीक्षण किया है और ए.पी-10 और 11 के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु का कारण गर्दन और सिर पर जानलेवा चोट के कारण रक्तस्रावी आघात है और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है। अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य के मद्देनजर, विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष कि मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर है। हम एतद द्वारा इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

12. अगला प्रश्न यह है कि अपीलकर्ता को घायल साक्षी श्रीमती उमा धुरी (पीडब्लू-1) (अपीलकर्ता की पत्नी और मृतक की पुत्री) के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. श्रीमती उमा धुरी (पी.डब्लू.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 1 में कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी अनिल उर्फ गोलू को पहचानती है। वर्ष 2014 में उसका विवाह तखतपुर के चुलघाट रोड निवासी अनिल से हुआ था। शुरू में तो उनके संबंध अच्छे रहे, परंतु बाद में बिगड़ गए और वह अपने मायके खपरी गांव आ गई। एक वर्ष बाद सामाजिक बैठक हुई, परंतु वह अपने ससुराल नहीं लौटी। उसके पिता सियाराम धुरी और माता शकुन बाई उसके साथ खपरी में रहते थे। आरोपी अनिल उर्फ गोलू की ओर से उसे 3 वर्ष का एक बेटा है। उसका और उसके पति आरोपी अनिल उर्फ गोलू का सामाजिक रूप पर तलाक हो चुका है। उसके पिता पी.डब्लू.डी. रेस्ट हाउस खपरी में चौकीदारी का काम करते थे। कंडिका 2 में उसने कहा है कि दिनांक 08.10.2018 की रात्रि में उसके पिता सियाराम अपनी ड्यूटी से वापस आए और दरवाजा खटखटाया। जब उसकी मां शकुन बाई ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि आरोपी अनिल उर्फ गोलू भी उसके पिता के पीछे-पीछे आया था और वह भी दरवाजे से घर में प्रवेश किया और दरवाजे की कुंडी बंद करने के बाद उसने उसके पिता के सिर पर गंडासे से हमला कर दिया , जब उसकी मां शकुन बाई ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी अनिल उर्फ गोलू ने उसके सिर और गर्दन पर भी गंडासे से हमला कर दिया। इसके बाद जब वह भी बीच-बचाव करने गई तो उसने उसके सिर पर गंडासे से हमला कर दिया , जिससे वह गिर गई, उसकी मां भी गिर गई। आरोपी अनिल उर्फ गोलू उसकी मां शकुन बाई को खींच कर उस स्थान पर ले गया जहां वह लेटी हुई थी और गर्दन पर कुदाल से हमला कर दिया। कंडिका 3 में उसने कहा है कि आरोपी अनिल उर्फ गोलू उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग गया। आरोपी अनिल उर्फ गोलू के हमले से उसके पिता सियाराम और मां शकुन बाई की मौत हो गई तश्चात चिकित्सक द्वारा रेफर करने पर उसे सिम्स अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया। तीन दिन सिम्स अस्पताल में भर्ती रहने के पश्चात चिकित्सक ने उसे केयर एंड क्योर अस्पताल रेफर कर दिया जहां वह भर्ती रही। कंडिका 4 में उसने कहा है कि चिकित्सक द्वारा उसके हाथ में स्टील की रॉड डाली गई थी। साक्षी ने न्यायालय के सम क्ष अपना पूरा सिर, गर्दन, चेहरा, दोनों हाथ, कलाई, पंजा, बांह, बाएं पैर का निचला हिस्सा दिखाते हुए बताया कि आरोपी द्वारा गंडासे से हमला करने के कारण उपरोक्त चोट आई है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तथा उसका कथन

दर्ज किया। पुलिस उसे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बिलासपुर श्रीमती छाया सिंह के न्यायालय में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान के लिए लेकर आई जहां उसका कथन दर्ज किया गया जो कि .पी-1 है जिस पर उसके अंगूठे का निशान है। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 10 में उमा धुरी (पीडब्लू-1) ने इस बात से इंकार किया है कि उसने आरोपी अनिल उर्फ गोलू को उसके पिता के साथ मारपीट करते नहीं देखा। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि घटना के दिन जब आरोपी उसके पिता पर हमला कर रहा था, तो उसने चिल्लाकर पड़ोसियों को नहीं बुलायी। साक्षी ने स्वतः कहा है कि वह चिल्लायी, लेकिन कोई नहीं आया। कंडिका 13 में उसने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के खिलाफ भरण-पोषण के लिए कुटुम्ब न्यायालय में कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसने मारपीट की शिकायत की है। सामाजिक अलगाव के बाद आरोपी जब भी रात में अपने बच्चे हिमांशु को देखने आता था तो उसे और उसकी मां को पीटता था। घटना के पहले भी आरोपी तीन-चार बार उनके घर आया था और मारपीट कर चला जाता था। उसने इस बात से इंकार किया है कि उसने इस संबंध में कहीं शिकायत नहीं की। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसने शिकायत की थी, लेकिन कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसने तखतपुर थाने में शिकायत की थी। उसने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी कभी उनके घर नहीं आया और न ही उसने उसके खिलाफ कहीं शिकायत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर के समक्ष दर्ज कराए गए 164 द.प्र.सं. के बयान (प्रदर्श पी-1) में उसने कहा है कि अनिल उर्फ गोलू धुरी उसका पति है। जब उसकी शादी हुई तो वह उसके साथ खूब मारपीट करता था। वह नशे का आदी था। उसकी आदतों से तंग आकर वह अपने मायके ग्राम खपरी, थाना तखतपुर में रहने लगी थी। वह बार-बार उसके माता-पिता से आकर झगड़ता था कि आपने लडकी को रख लिया है और उसे वापस नहीं भेज रहे हैं, जबकि उनका सामाजिक तलाक हो चुका है। उसका तीन वर्ष का बेटा है, जो उसके साथ रहता है। दिनांक 08.10.2018 को रात्रि में सभी लोग सो गये थे तथा उसके पिता रेस्ट हाउस में चौकीदारी करते थे, इसलिए वे देर रात्रि तक वापस नहीं आये। उन्होंने आकर घर का दरवाजा खटखटाया, तब उनकी मां ने दरवाजा खोला। उसी समय अनिल पीछे से आया और उसके माता-पिता को पैरा काटने वाले धारदार हथियार से मार डाला। उसकी मां उसके मारने के बाद भी जीवित थी , इसलिए उसने पुनः हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बीच वह जाग गई और बीच-बचाव करने गई, तब उसने उसी हथियार से उस पर भी हमला कर दिया। साक्षी ने न्यायालय को अपने शरीर, दोनों हाथ, चेहरा , छाती, पीठ एवं पैर पर धारदार हथियार से लगी चोट दिखायी। चोट के कारण उसके सिर के बाल भी कट गये थे, जो साक्षी ने बताया। उसके माता-पिता की वहीं मृत्यु हो गई। उसे चोट लगने पर उसके परिजनों ने उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना की रिपोर्ट उसके भाई शिवकुमार धुरी ने दर्ज कराई।

14. माननीय उच्चतम न्यायलय ने मोहम्मद जब्बार अली और अन्य बनाम असम राज्य { 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1440 } के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि सिर्फ इसलिए कि गवाह रिश्तेदार/हितबद्ध/पक्षपाती गवाह हैं, उनकी गवाही को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है, हालाँकि, यह भी सच है कि जब गवाह रिश्तेदार/हितबद्ध होते हैं, तो उनकी गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता से जाँच की जानी चाहिए। न्यायालय ने कंडिका 55 और 56 में निम्नलिखित माना है:-

> 55. यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में साक्षियों के साक्ष्य को अधिक महत्व दिया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने कानूनी न्यायालय में दिए गए किसी भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दूषित साक्ष्य को खारिज करने के लिए साक्षियों की विश्वसनीयता की जांच की है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में किसी भी साक्षी की जांच करने में विफल रहा और साक्षी एक दूसरे से संबंधित थे। इस न्यायालय को कई मामलों में संबंधित/हितबद्ध/पक्षपाती गवाहों के पहलू और ऐसे साक्षियों की विश्वसनीयता पर विचार करने का अवसर मिला है। यह न्यायालय इस सुस्थापित सिद्धांत से अवगत है कि सिर्फ इसलिए कि गवाह संबंधित/हितबद्ध/पक्षपाती गवाह हैं, उनकी साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, हालांकि, यह भी सच है कि जब गवाह संबंधित/हितबद्ध होते हैं, तो उनकी गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता से जांच की जानी चाहिए। गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (2002) 8 एससीसी 381 के मामले में , इस न्यायालय ने माना कि ऐसे संबंधित साक्षियों की साक्ष्य का उसकी विश्वसनीयता के लिए सावधानी से विश्लेषण किया जाना चाहिए।

56. राजू उर्फ बालचंद्र बनाम तमिलनाडु राज्य (2012) 12 एससीसी 701 में , इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"29. सारांश और सार यह है कि संबंधित या हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य की सावधानी पूर्वक और सावधानी से जांच की जानी चाहिए। ऐसे मामले में जहां संबंधित और हितबद्ध साक्षी की हमलावर के साथ कोई शत्रुता हो सकती है, तो बार को ऊपर उठाने की आवश्यकता होगी और साक्षी के साक्ष्य की जांच विवेकपूर्ण जांच के मानक को लागू करके की जानी चाहिए। हालाँकि , यह केवल विवेक का नियम है और विधि का नियम का नहीं, जैसा कि दलीप सिंह [(1953) 2 एससीसी 36: एआईआर 1953 एससी 364] में कहा गया है और सरवन सिंह [(1976) 4 एससीसी 369] में निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में दोहराया गया है : (सरवन सिंह प्रकरण [(1976) 4 एससीसी 369, पृष्ठ 376, कंडिका 10)

"10. ... किसी भी हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य में ऐसी कोई कमी नहीं होती, लेकिन न्यायालयों को विधि के नियम के अनुसार नहीं, बल्कि विवेक के नियम के अनुसार यह अपेक्षा होती है कि ऐसे साक्षियों के साक्ष्य की थोड़ी सावधानी से जांच की जानी चाहिए। एक बार जब यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है और न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाती है कि हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य में सच्चाई है, तो ऐसे साक्ष्य पर बिना पुष्टि के भी भरोसा किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसी दृष्टिकोण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मणिकंदन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक {एआईआर 2024 सर्वोच्च न्यायालय 1801} और भूपतभाई बचुभाई चावड़ा एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य {एआईआर 2024 सर्वोच्च न्यायालय 1805} के मामले में दोहराया गया है ।

16. बालू सुदाम खालदे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य { एआईआर 2023 सुप्रीम कोर्ट 1736 : एआईआर ऑनलाइन 2023 एससी 229} के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घायल साक्षियों को दिए जाने वाले महत्व पर चर्चा की है। जिसमें कंडिका 26 में न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं:-

26. जब किसी घायल चश्मदीद साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना हो, तो न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

(क) घटना के समय और स्थान पर घायल चश्मदीद साक्षी की उपस्थिति पर तब तक संदेह नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके बयान में भौतिक विरोधाभास न हों।

(ख) जब तक साक्ष्य द्वारा स्थापित न हो जाए, यह माना जाना चाहिए कि घायल साक्षी अपराधियों को भागने नहीं देगा तथा अभियुक्तों को झूठा फंसाने नहीं देगा।

(ग) घायल साक्षी के साक्ष्य का अधिक होता है और जब तक बाध्यकारी कारण न हों उनके कथनों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

(घ) प्राकृतिक आचरण में कुछ कमी या मामूली विरोधाभास के कारण घायल साक्षी के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता।

(ई) यदि किसी पीड़ित साक्षी के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या अप्रासंगिक अलंकरण हो, तो ऐसे विरोधाभास, अतिशयोक्ति या अलंकरण को पीड़ित के साक्ष्य से निकाल दिया जाना चाहिए, किन्तु सम्पूर्ण साक्ष्य को नहीं।

(च) अभियोजन पक्ष के व्यापक आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए और विसंगतियों को, जो आमतौर पर समय बीतने के साथ स्मृति हानि के कारण आती हैं, त्याग दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. डॉ. आशीष कश्यप (पीडब्लू-7) का परीक्षण पीडब्लू-7 के रूप में किया गया है। डॉक्टर ने मृतक सियाराम के शरीर पर प्रदर्श.पी-10 के अनुसार तीन चीरे हुए घाव पाए हैं और सियाराम धुरी की मौत का कारण गर्दन और सिर पर जानलेवा चोट के कारण रक्तस्रावी आघात है और मौत की प्रकृति हत्यात्मक है। डॉक्टर ने मृतक सकुन धुरी के शरीर पर प्रदर्श पी-11 के अनुसार ग्यारह चीरे हुए घाव भी पाए हैं और सकुन धुरी की मौत का कारण चेहरे, गर्दन और सिर पर जानलेवा चोट के कारण रक्तस्रावी आघात है और मौत की प्रकृति हत्यात्मक है।

18. जांच अधिकारी शरद कुमार चंद्रा (पी.डब्लू.-13) ने अपने मुख्यपरीक्षण के कंडिका 10 में बताया है कि दिनांक 10.10.2018 को अभियुक्त अनिल उर्फ गोलू धुरी का मेमोरेण्डम कथन साक्षी नीरा धुरी एवं सकीना धुरी के समक्ष दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्त ने बताया कि घटना के समय पहने हुए कपड़े एवं चप्पल अर्थात फुल आस्तीन की शर्ट, नीले रंग का लोअर, भूरे पीले रंग की काली प्लास्टिक की चप्पल उसने चकरभाठा रेलवे स्टेशन के मूत्रालय के पीछे नाले में झाड़ियों के पास छिपा दी थी। उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-5 है। उक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसी दिनांक को एक जोड़ी प्लास्टिक चप्पल नाप 10, लाल व काला जिस पर पैरागॉन लिखा है, घिसी हुई हालत में, एक सूती सफेद व नीला रंग की पूरी आस्तीन की शर्ट, कंधे पर धारीदार, जिस पर 7 बटन लगे हुए हैं, एक बटन पीछे, दूसरा नंबर का बटन टूटा हुआ, जिस पर प्री-हीटेड कैजुअल शर्ट एक्सेल नंबर 42 लिखा हुआ है, जिस पर जगह-जगह खून जैसे दाग मौजूद हैं, कमर व पैर में इलास्टिक वाला फटा हुआ लोअर जिस पर पीले रंग की पट्टी बनी हुई है, लोअर का रंग ग्रे है जिस पर जगह-जगह खून के दाग मौजूद हैं, गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। जप्ती मेमो प्रदर्श पी-6 है।

19. शिव कुमार धुरी (पीडब्लू-10) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में कहा है कि आरोपी अनिल उर्फ गोलू ने

अपनी मां और पिता की हत्या की है। अपनी पत्नी से विवाद के कारण आरोपी ने अपनी सास और ससुर की दरांती, कुदाल और गंडासे से हत्या कर दी। जब वे मौके पर गए तो उसके माता-पिता खून से लथपथ मृत पड़े थे। कंडिका 5 में उसने कहा है कि उसने मृतक और घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी थी जो कि सूचना प्रदर्श पी-14 और पी-15 है।

20. रविशंकर धुरी (पीडब्लू-11) (घायल उमा धुरी (पीडब्लू-1) का सौतेला भाई) ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 2 में कहा है कि मृतक सियाराम धुरी और श्रीमती सकुन बाई धुरी उसके माता-पिता थे। घटना 8-9 महीने पहले की है। उसके बड़े भाई शिव कुमार के चाचा ससुर ने सुबह करीब 6 बजे फोन कर बताया कि पिता सियाराम और मां सकुन बाई की हत्या कर दी गई है। तब वह अपने निवास सरकंडा से ग्राम खपरी गया। जब वह मौके पर गया तो उसकी मां सकुन बाई घर के दरवाजे पर मृत पड़ी थी और उसके पिता सियाराम ध्रुव कमरे के अंदर मृत पड़े थे। अपने मुख्यपरीक्षण की कंडिका 3 में उसने कहा है कि उसकी बहन उमा धुरी को उसकी मौसी मीना ने सीआईएमएस अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया था। इसके पूर्व उसकी बहन उमा बाई का उसके माता-पिता से झगड़ा हुआ था। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 में इस साक्षी ने कहा है कि उमा धुरी आरोपी से अलग रह रही थी। उसने स्वीकार किया है कि उमा धुरी, आरोपी अनिल के साथ लगभग दो-तीन वर्षों से रह रही थी। उसने स्वीकार किया है कि उमा धुरी, आरोपी अनिल के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने स्वीकार किया है कि न्यायालय में उमा धुरी एवं आरोपी अनिल के मध्य कोई तलाक नहीं हुआ है, साक्षी ने स्वतः कहा है कि सामाजिक तलाक हुआ है। उसने स्वीकार किया है कि आरोपी अनिल धुरी, उमा धुरी एवं बच्चे को अपने साथ रखना चाहता है। अपने कंडिका 5 में उसने कहा है कि उसके पिता सियाराम धुरी शासकीय सेवक थे। उसने स्वीकार किया है कि उमा ने अपने पिता . सियाराम धुरी की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु अकेले आवेदन किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उमा ने उपरोक्त नौकरी हेतु आवेदन करने के पूर्व उन चारों से कोई सहमति नहीं ली थी। अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उमा ने उपरोक्त मकान एवं भूमि को अपने नाम पर स्थानांतरित कराने हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। उसने स्वीकार किया है कि उमा धुरी उक्त मकान व जमीन का कोई भी हिस्सा आपस में नहीं बांटना चाहती, साक्षी ने स्वतः बताया है कि उमा ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के दो दिन पूर्व उसके पिता सियाराम धुरी ने उसे फोन कर कहा था कि खपरी आकर आपस में संपत्ति बांट लो, तब वह खपरी गया, वहां उमा ने उसके माता-पिता से कहा कि यह पूरी संपत्ति मेरी है, यदि आप इसे बांटोगे तो गलत होगा।

21. रविशंकर धुरी (पी.डब्लू.-11) एवं घायल उमा धुरी (पी.डब्लू.-1) के मध्य संपत्ति या पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में कुछ विवाद हो सकता है तथा रविशंकर धुरी (पी.डब्लू.-11) ने यह कथन किया है कि इस घटना के पूर्व उसकी बहन उमा बाई का उसके माता- पिता से झगड़ा हुआ था, किन्तु इस साक्षी ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसकी बहन उमा धुरी ने उसके माता-पिता की हत्या की है, जबकि उमा धुरी (पी.डब्लू.-1) घायल प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने अभियुक्त अनिल उर्फ गोलू को उसके माता-पिता के साथ मारपीट करते हुए देखा है।

22. घायल प्रत्यक्षदर्शी उमा धुरी (पीडब्लू-1) तथा आगे मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी-5) के आधार पर, चप्पल, सूती सफेद और नीले रंग की एक पूरी आस्तीन की शर्ट तथा कमर पर इलास्टिक के साथ फटा हुआ लोअर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जो प्रदर्श.पी-6 के अनुसार खून से सना हुआ था, अपीलकर्ता की निशानदेही पर जप्त किया गया तथा इसकी एफ.एस.एल. जांच की गई, जिसमें खून पाया गया। इसके अलावा, घटनास्थल से कुदाल, गंडासा तथा साड़ी जप्त की गई, जिसमें प्रदर्श .पी-28 के अनुसार मानव रक्त पाया गया तथा विचारण न्यायालय ने घायलदर्शी उमा धुरी (पी.डब्लू-1) की गवाही पर आधारित उपरोक्त आपत्तिजनक साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को सही पक्ष से दोषी ठहराया है, इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 307 , 450 , 302 तथा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से उचित है । हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती।

23. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरूद्ध सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। अपीलकर्ता को विचारण अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धी और दण्डादेश को बरकरार रखा जाता है। वर्तमान आपराधिक अपील में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

24. यह कहा गया है कि अपीलकर्ता जेल में है। उसे विचारण न्यायालय के आदेशानुसार सजा काटनी होगी।

25. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रमाणित प्रति को अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना एवं पालन के लिए प्रेषित करे।

हस्ता/-
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

हस्ता/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**